प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.03.2026

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा फायरिंग के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.01.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अवैध असलाह से फायरिंग करते हुए देखा गया । उक्त प्रकरण के संबंध में थाना खोडा पर धारा 125 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मैनुअल इनपुट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान **आशीष राजोरा पुत्र स्व0 समय पाल सिंह निवासी ग्राम कलेना, जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष** का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । इसी क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **आशीष राजोरा पुत्र स्व0 समय पाल सिंह निवासी ग्राम कलेना जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष** को 01 अवैध तमंचा सहित जनपद बुलन्दशहर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा वायरल वीडियो में फायरिंग करने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उक्त फायरिंग उसने जोश में आकर की थी । बाद में जब उसे पता चला कि किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, तो वह पकड़े जाने के डर से छिपकर रह रहा था । पुलिस द्वारा दबिश में गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त ने अपने कृत्य के लिए गलती स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- आशीष राजोरा पुत्र स्व0 समय पाल सिंह निवासी ग्राम कलेना जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

- **01 अवैध तमंचा बरामद ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.12.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त इमरान उर्फ रोमियो द्वारा वादिया के पुत्र नाजिम व उसके दोस्त मुजाहिद के साथ गाली-गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना व चाकू से पेट में वार करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 118(1),351(3),352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 117(2)/109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इमरान उर्फ रोमियो पुत्र सलीम निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद हाल पता श्रीराम कॉलोनी राजीव नगर करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त इमरान उर्फ रोमियो ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी मुजाहिद व नाजिम से दिनांक 28.12.2025 को पार्टी करने को लेकर कहाँ सुनी हो गई थी जिसमें मैंने आवेश में आकर सब्जी काटने वाले चाकू से दोनों के ऊपर वार कर दिया था तथा गाली- गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

इमरान उर्फ रोमियो पुत्र सलीम निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद हाल पता श्रीराम कॉलोनी राजीव नगर करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारीकरने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 742 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 25.03.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त मो0 आदिल उर्फ पप्पी पुत्र नबाबुद्दीन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी आर्य नगर कब्रिस्तान के पास लोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 742 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा – 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे अवैध गाजा खरीद कर लाता हूँ तथा अधिक पैसे कमाने के लिये मैं राह चलते व्यक्तियों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेच देता हूँ आज मैं गांजा बेचने के लिये ही जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मो० आदिल उर्फ पप्पी पुत्र नबाबुद्दीन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी आर्य नगर कब्रिस्तान के पास लोनी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा 02 वर्ष के बच्चे को बहलाकर ले जाने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया व कब्जे से गुमशुदा बच्ची उम्र करीब 02 वर्ष सकुशल बरामद।

दिनांक 18.03.2026 को वादिया ने सूचना दी कि वादिया की पुत्री उम्र करीब 02 वर्ष अम्बेडकर पार्क से लापता हो गयी है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.03.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता हसीना उर्फ बुचनिया पत्नी स्व0 शेरू निवासी जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपड़ी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गुमशुदा बच्ची उम्र करीब 02 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपड़ी मोदीनगर में रहती हूँ, मेरे पति बहुत पहले गुजर गये हैं, मेरे दो बच्चे मेरी बहन के साथ मोदीनगर में ही रहते हैं। मैं कूड़ा बीनने का काम करती हूँ और इधर-उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस बच्ची को मैंने उस दिन उसकी बहन के साथ खेलते हुये देखा था, मेरे मन में लालच आ गया, फिर मैंने इस बच्ची को कोल्ड्रिंक देकर बहलाकर अंबेडकर पार्क मुरादनगर से अपने साथ ले गयी थी। फिर मैं बस में बैठकर पहले मेरठ गयी, मेरठ में इस बच्ची को साथ लेकर मैंने भीख माँगने का काम भी किया था। आज मैं पुलिस से छिपते-छिपाते लखनऊ जाने की फिराक में थी कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

अभियुक्ता हसीना उर्फ बुचनिया पत्नी स्व0 शेरू निवासी जगतपुरी बाल्मिकी बस्ती झुग्गी झोपड़ी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत ABES कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में गाजियाबाद पुलिस द्वारा **नशा-मुक्त एवं अवैध हथियार मुक्त गाजियाबाद** बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान **"ऑपरेशन प्रहार"** के अंतर्गत आज दिनांक 25.03.2026 को **श्रीमती प्रियाश्री पाल सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी** एवं **थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम** द्वारा ABES कॉलेज, गाजियाबाद में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा उन्हें नशे और अवैध गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें लगभग **500** से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि **श्री राजकरन नैय्यर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात** तथा गेस्ट ऑफ ऑनर **श्री धवल जायसवाल, पुलिस उपायुक्त नगर** उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि उसके भविष्य और समाज की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे और अवैध हथियारों से दूरी बनाए रखें और समाज में सकारात्मक योगदान दें।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु :-

- कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के सम्बोधन से शुरू हुई। महोदय द्वारा विद्यार्थियों को सम्बोधित कर उनको नशे के दुष्प्रभावों एवं अवैध गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया तथा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त विकल्पों के बारे में बताया गया।
- कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का सेशन भी रखा गया जिसमें कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न रखे जिनका पुलिस अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया।
- इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण **नुक्कड़ नाटक** रहा, जिसके माध्यम से छात्रों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों तथा अवैध हथियारों के खतरों के बारे में सरल और प्रभावी तरीके से जागरूक किया गया।
- नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने जीवंत अभिनय के माध्यम से यह संदेश दिया कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देती है। वहीं, अवैध हथियार अपराध और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इस प्रस्तुति को छात्रों ने अत्यंत रुचि और उत्साह के साथ देखा और सराहा।
- कार्यक्रम के दौरान एक **पेंटिंग प्रतियोगिता** आयोजित की गई तथा इसमें विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को जागरूक करने के लिए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए और बताया कि गाजियाबाद पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों एवं अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। *ऑपरेशन प्रहार* इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जिसका उद्देश्य गाजियाबाद को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है।

गाजियाबाद पुलिस का यह अभियान समाज को नशा और अपराध से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पुलिस प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के संयुक्त प्रयास से युवाओं को जागरूक कर एक सुरक्षित और स्वस्थ गाजियाबाद का निर्माण किया जा रहा है।